[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून, 2017

सं. 55/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि._____(अ).- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उप-धारा (1), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और धारा 156 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

1. **लघु शीर्ष और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों को भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,-

(क) "महानिदेशक" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक (रक्षोपाय) से है;

(ख) "घरेलू उद्योग" से अभिप्राय आयातित वस्तुओं के संबंध में ऐसे उत्पादकों से है,

(i) जो कि इस प्रकार की वस्तुओं का समग्र रूप से या उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक हों; या

(ii) जिनका इसी प्रकार की वस्तुओं का सामूहित उत्पादन या भारत में प्रत्यक्षता प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुओं का उत्पादन भारत में होने वाले इस प्रकार के वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पाद का बहुत बड़ा अनुपात होता है;

(ग) "वस्तुओं" से अभिप्राय किसी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं, उत्पादों, सामानों या सामग्री से है;

(घ) "आयात वृद्धि" से अभिप्राय मलेशिया से होने वाले आयात में वृद्धि से है। चाहे इसे निरपेक्ष रूप में देखा जाए या घरेलू उत्पादन से तुलनात्मक रूप से।

(ड.) "इच्क्षुक पक्षकार"

(i) मलेशिया का कोई उत्पादक या निर्यातक या ऐसे वस्तु का आयातकर्ता जो कि द्विपक्षीय रक्षोपाय के लिए जांच के अधीन हो। या कोई व्यापारी या व्यापारिक समुदाय जिसके ज्यादातर सदस्य ऐसे वस्तुओं के उत्पादक हों, निर्यातक हों या आयातकर्ता हों;

(ii) मलेशिया सरकार; और

(iii) इसी प्रकार की वस्तु या ऐसी वस्तु जो भारत में प्रत्यक्षता प्रतिस्पर्धात्मक हो, के उत्पादक या व्यापारी या व्यापारी समुदाय जिसके ज्यादातर सदस्य ऐसी वस्तुओं का या उन वस्तुओं का जो भारत में प्रतिस्पर्धात्मक हो का उत्पादन या व्यापार करते हों;

(च) "इसी प्रकार की वस्तुओं" से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जो कि जांच के अधीन वस्तुओं के हर प्रकार से सादृश्य हो या उसी की तरह ही हो;

(छ) "मूल वस्तु" से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 43/2011-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 01 जुलाई, 2011, जिसे सा.का.नि. 500 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 2011 के तहत प्रकाशित किया गया था, के तहत अधिसूचित सीमा शुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और मलेशिया की सरकारों के बीच अधिमान्य व्यापार करार के अंतर्गत माल के उद्गम का निर्धारण) नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत मूलत: उत्पादित वस्तुओं से संबंधित अर्हता को पूरी करते हों।

(ज) "गम्भीर क्षति" से अभिप्राय घरेलू उद्योग के खास तथा सकल नुकसान से है;

(झ) "गम्भीर क्षति के खतरे" से अभिप्राय गम्भीर क्षति के ऐसे तात्कालिक खतरे से है जो कि तथ्यों पर आधारित हों न कि आरोप, अटकलबाजी या दूरवर्ती सम्भावना पर आधारित हों;

(ञ) "व्यापार करार" से अभिप्राय भारत गणराज्य और मलेशिया सरकार के बीच बृहद आर्थिक सहयोग करार से है।

(2) यहां प्रयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) में परिभाषित किया गया है, का क्रमश: वही अभिप्राय होगा जोकि उन्हें इन अधिनियमों में दिया गया है।

3. महानिदेशक के कर्तव्य.- महानिदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वे,-

(क) इस प्रकार की जांच पड़ताल करें कि क्या व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती अथवा इसे समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में मूलभूत वस्तुओं के बढ़ते हुए आयात के कारण भारत के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है अथवा गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है;

(ख) वस्तुगत और परिमाणिक प्रकृति के उन सभी कारकों का मूल्यांकन करेंगे जिनका प्रभाव घरेलू उद्योग की स्थिति पर, विशेषकर इन मूलत: उत्पादित वस्तुओं के आयात की निरपेक्ष या सापेक्ष दर या मात्रा, घरेलू बाजार में हिस्सा जो कि मूलत: उत्पादित वस्तुओं के आयात में होने वाली वृद्धि से हुआ हो, बिक्री के स्तर, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग लाभ और हानि तथा रोजगार पड़ता हो;

(ग) केंद्र सरकार को अनंतिम अथवा अन्यथा रूप से अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करे कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती अथवा इसे समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप मलेशिया से भारत में मूलभूत वस्तुओं के बढ़ते हुए आयात के कारण भारत के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है अथवा गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है;

(घ) ऐसे द्विपक्षीय रक्षोपायों की सिफारिश करें जिनको यदि अपनाया जाए तो वे गम्भीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए पर्याप्त हों;

(ड.) द्विपक्षीय रक्षोपायों की अवधि के बारे में सिफारिश करें और जहां एक साल से अधिक की अवधि के लिए इनकी सिफारिश की गई हो वहां इसके समायोजन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक उत्तरोत्तर उदारीकरण की सिफारिश करें; और

(च) द्विपक्षीय रक्षोपायों को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा।

4. जांच का प्रारंभ.- (1) महानिदेशक इस प्रकार की वस्तुओं या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों से या उनकी ओर से प्राप्त होने वाले लिखित आवेदन पर यह निर्धारित करने के लिए जांच शुरू करवाएंगे कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती अथवा इसे समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में मूलभूत वस्तुओं के बढ़ते हुए आयात के कारण भारत के घरेलू उद्योग को कितनी गंभीर क्षति पहुंची है अथवा कितनी गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए किसी भी आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा,-

(क) निम्न के बारे में प्रमाण -

(i) मूलभूत वस्तुओं का बढ़ा हुआ आयात;

(ii) घरेलू उद्योग को होने वाली गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति का खतरा;

(iii) आयात और तथाकथित गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे के बीच आकस्मिक संबंध; और

(iv) व्यापार करार के अनुक्रम में सीमा शुल्क में की गई कटौती या उसे समाप्त किया जाना जिससे मूलभूत वस्तुओं का आयात बढ़ा हो और इस प्रकार बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को काफी क्षति पहुंची हो।

बशर्ते यह जरूरी नहीं कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में की गई कटौती या उसको समाप्त किए जाने के अन्य किसी कारण के बराबर या उससे बड़ा हो; और

(ख) आयात प्रतिस्पर्धा में समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों या किए जाने के लिए नियोजित प्रयासों अथवा दोनों का एक विवरण।

(3) महानिदेशक उप-नियम (1) के अंतर्गत दिए गए आवेदन पर तब तक कोई जांच कार्य शुरू नहीं करेंगे जब तक कि वे आवेदन में दिए गए साक्ष्यों की शुद्धता और पर्याप्तता की जांच नहीं कर लेते है और इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते है कि इसमें निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं-

(क) मूलभूत वस्तुओं का बढ़ा हुआ आयात;

(ख) गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति का खतरा;

(ग) मूलभूत वस्तुओं के आयात और तथाकथित गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे के बीच कोई आकस्मिक संबंध; और

(घ) व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में की गई कटौती या उसको समाप्त किए जाने के कारण मूलभूत वस्तुओं के आयात में होने वाली पर्याप्त बढ़ोत्तरी:

बशर्ते कि, कोई जरूरी नहीं है कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में की गई कटौती या इसको समाप्त किए जाने का जो कारण है वह अन्य किसी कारण के बराबर ही हो या उससे अधिक हो।

(4) उप-नियम (1) में निहित किन्हीं भी बात के अलावा महानिदेशक, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त किए गए किसी प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क आयुक्त से अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि उप-नियम (3) के उपवाक्य (क), उपवाक्य (ख), उपवाक्य (ग) और उपवाक्य (घ) में संदर्भित साक्ष्य पर्याप्त हैं तो वे अपनी ओर से जांच कार्य शुरू कर सकते हैं।

5. जांच से संबंधित सिद्धांत.- (1) महानिदेशक द्वारा, व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती किए जाने अथवा इसे समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में

मूलभूत वस्तुओं के बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई गम्भीर क्षति या क्षति के खतरे का आकलन करने के लिए जांच पड़ताल प्रारंभ किए जाने के निर्णय लेने के बाद वह अपने इस निर्णय को अधिसूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे और इस सार्वजनिक सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त जानकारी होगी, अर्थात:-

(क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत मूलभूत वस्तुओं, जांच और इनके वर्गीकरण के अध्यधीन इनका स्पष्ट विवरण;

(ख) जांच पड़ताल शुरू किए जाने की तारीख;

(ग) जांचाधीन अवधि;

(घ) उन तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण जिनके आधार पर गम्भीर क्षति के आरोप अथवा गंभीर क्षति के खतरे की बात कही गई है;

(ड.) जांच को शुरू किए जाने के कारण;

(च) वह पता जहां कि इच्छुक पक्षकारों के अभ्यावेदनों को भेजा जाना है; और

(छ) इच्छुक पक्षकारों को यथोचित माध्यमों के द्वारा अपने विचार को व्यक्त करने के लिए दी गई समय-सीमा।

(2) महानिदेशक इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रसारित करेंगे :-

(क) केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय जिनको वे उचित समझे;

(ख) संबंधित व्यापार संघ अथवा उस मूलभूत वस्तु का अभिज्ञात निर्यातक जिसके बढ़े हुए निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति होने या क्षति होने का खतरा पैदा होने की बात कही गई है;

(ग) मलेशिया सरकार; और

(घ) अन्य इच्छुक पक्षकार जिसको महानिदेशक उचित समझे।

(3) महानिदेशक, नियम 4 के उपनियम(1) में संदर्भित आवेदन की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रसारित करेंगे -

(क) केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मंत्रालय;

(ख) संबंधित व्यापार संघ अथवा उस मूलभूत वस्तु का अभिज्ञात निर्यातक जिसके बढ़े हुए निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति होने या क्षति होने का खतरा पैदा होने की बात कही गई है;

(ग) मलेशिया सरकार; और

(घ) अन्य इच्छुक पक्षकार को, उसके द्वारा लिखित में अनुरोध किए जाने पर।

(4) महानिदेशक निर्यातकों, उत्पादकों और मलेशिया सरकार को नोटिस जारी करके ऐसे प्रारूप में जानकारी मांग सकता है जो कि वह विनिर्दिष्ट करे और ऐसे नोटिस के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर जिसके लिए पर्याप्त कारण बताये जाने पर महानिदेशक अनुमति दे, ऐसी जानकारी ऐसे व्यक्तियों द्वारा तथा मलेशिया सरकार के द्वारा लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए यह माना जाएगा कि ये उस तारीख के एक हफ्ते बाद प्राप्त हो गई हैं जिस तारीख को महानिदेशक ने ऐसे दस्तावेजों को पंजीकृत डाक से या मलेशिया सरकार के यथोचित राजनायिक प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा है।

(5) महानिदेशक जांच के अधीन रहने वाली मूल देश की वस्तुओं के औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को और ऐसे मामलों में जहां कि इन वस्तुओं को खुदरा तौर पर सामान्य रूप

से बेचा गया है, के प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को ऐसा अवसर दे सकता है कि इस जांच से संबंधित कोई संगत जानकारी है तो वे उन्हें दे सकते हैं।

(6) महानिदेशक इच्छुक पक्षकारों या इनके प्रतिनिधि को ऐसी जांच से संबंधित कोई सुसंगत जानकारी को मौखिक रूप से देने के लिए अनुमति दे सकते हैं, जब इसे महानिदेशक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर बाद में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) महानिदेशक एक पक्षकार द्वारा उनको प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को ऐसे दूसरे पक्षकार को उपलब्ध कराएंगे जो कि इस जांच में भाग ले रहे हों।

(8) यदि कोई इच्छुक पक्षकार कोई जानकारी पहुंचाने से इंकार करे और ना ही महानिदेशक के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कोई जानकारी दे या जांच में खास तौर से अवरोध पैदा करता है तो महानिदेशक अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को इस प्रकार की सिफारिश कर सकते हैं जिसे वे ऐसी परिस्थितियों में उचित समझे।

(9) यदि मूलभूत वस्तुओं का आयात ऐसी वस्तुओं के कुल आयात की तुलना में तीन प्रतिशत से कम है तो बिना कोई द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू किए हुए, जांच पड़ताल तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

6. **गोपनीय सूचना.-** (1) नियम 5 के उप-नियम (1), (3) और (7), नियम 8 के उप-नियम (2) और नियम 10 के उप-नियम (5) में निहित किन्हीं भी बातों के बावजूद ऐसी कोई सूचना जो कि गोपनीय प्रकृति की है या जिसे कारण बताते हुए गोपनीय आधार पर प्रदान किया गया है, महानिदेशक द्वारा उसे गोपनीय समझा जाएगा और उन्हें ऐसी सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए जाए बिना घोषित नहीं किया जाएगा।

(2) महानिदेशक गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से यह कह सकते हैं कि वे इनका गैर गोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों की राय में ऐसी सूचना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो ऐसे पक्षकार महानिदेशक को यह विवरण देंगे कि ऐसी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के बावजूद, यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट होता है कि गोपनीयता के अनुरोध की जरूरत नहीं है या ऐसी जानकारी को देने वाला इस बात को लेकर अनिच्छुक है कि जानकारी को सार्वजनिक किया जाए अथवा इसे सामान्य अथवा सारांश रूप से घोषित किया जाए तो वह ऐसी जानकारी को नजरअंदाज कर सकता है, जब तक कि उसे अन्य यथोचित स्रोतों से यह पता न लग जाए कि ऐसी जानकारी सही है।

7. गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे का निर्धारण.- महानिदेशक घरेलू उद्योग को होने वाली गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे का निर्धारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करेंगे:-

(क) महानिदेशक उन सभी कारकों का वास्तविक और परिणात्मक रूप से मूल्यांकन करेंगे जिनका उद्योगों की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है विशेष रूप से जैसे कि, मूलभूत वस्तु के निरपेक्ष या तुलनात्मक रूप से आयात में हुई वृद्धि की दर और मात्रा, मूलभूत वस्तु के बढ़े हुए आयात द्वारा लिया गया घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि, तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन; और

(ख) इस नियम के अर्न्तगत संदर्भित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच से वास्तविक साक्ष्यों के आधार पर, यह नहीं पता चलता है कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती अथवा इसको समाप्त किये जाने के कारण मूलभूत वस्तु के बढ़े हुए आयात और गम्भीर क्षति या उसके खतरे के बीच कोई आकस्मिक संबंध है और जब मूलभूत वस्तु के बढ़े हुए आयात के कारकों के अलावा अन्य किसी कारकों से घरेलू उद्योग को उसी समय क्षति हो रही हो तो ऐसी क्षति के लिए मूलभूत वस्तुओं के बढ़े हुए आयात को कारण नहीं माना जा सकता है।

8. प्रारम्भिक निष्कर्ष.- (1) महानिदेशक जांच के संबंध में तेजी से कार्रवाई करेंगे और गम्भीर परिस्थितियों में जहां कहीं यह स्पष्ट सक्ष्य है कि बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को क्षति पहुची है अथवा गंभीर क्षति होने का खतरा है और जहां अनंतिम द्वीपक्षीय रक्षोपाय को लागू किये जाने में विलंभ किए जाने से ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती तो वे मूलभूत वस्तु के बढे हुए आयात के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति होने के खतरे के बारे में प्रारंभिक निष्कर्ष रिकॉर्ड कर सकते हैं।

(2) महानिदेशक इन प्रारम्भिक निष्कर्षों के बारे में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे और इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति निम्नलिखित को भी भेजेगे,-

(क) केन्द्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय;

(ख) मलेशिया सरकार ।

9. अनंतिम द्वीपक्षीय रक्षोपाय का लागू किया जाना.- (1) केन्द्र सरकार महानिदेशक के प्रारम्भिक निष्कर्षों के आधार पर -

(क) व्यापार करार के अंतर्गत मूलभूत वस्तु पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर को उस तारीख से और कटौती किए जाने को स्थगित कर सकती है, जिस तारीख को द्वीपक्षीय रक्षोपाय किया जाता है; अथवा

(ख) मूलभूत वस्तु पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में उस स्तर तक बढ़ोत्तरी कर सकती है कि निम्नलिखित में से निम्न दर से अधिक न हो :

(i) द्वीपक्षीय रक्षोपाय लागू किए जाने वाले दिन को मूलभूत वस्तु पर लागू, सीमा शुल्क की, अत्यंत वरीयता प्राप्त राष्ट्र लागू दर; अथवा

(ii) जांच की अवधि शुरू होने की तारीख से तत्काल पूर्व, मूलभूत वस्तुओं पर लागू सीमा शुल्क की अत्यन्त वरीयता प्राप्त राष्ट्र लागू दर।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत अपनाए जाने वाले द्विपक्षीय रक्षोपाय इनको लागू किए जाने की तारीख से 200 दिन से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

10. अंतिम निष्कर्ष.- (1) महानिदेशक ऐसी जांच के प्रारम्भ की तारीख से 8 महीने के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर जोकि जांच शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर हो, जिसके लिए केन्द्र सरकार अनुमति दे यह निर्धारण करेंगे कि क्या,-

(क) जांच के अधीन मूलभूत वस्तुओं के बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति हुई है या गम्भीर क्षति होने का खतरा पैदा हुआ है; और

(ख) इस व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती किए जाने अथवा इसे समाप्त किए जाने के कारण मूलभूत वस्तु के बढ़े हुए आयात और गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे के बीच कोई संबंध है।

(2) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपायों के बारे में ऐसी भी सिफारिश करेंगे जो कि गम्भीर क्षति को रोकने या इसका उपचार करने या समायोजन में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त हों।

(3) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपायों की अवधि के बारे में भी अपनी सिफारिशें देंगे:

बशर्ते कि जहां पर इस प्रकार की सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक होगी वहां महानिदेशक इसको लागू किए जाने की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर द्विपक्षीय रक्षोपाय के ऐसे प्रगामी उदारीकरण की भी सिफारिश करेंगे जो कि समायोजन किए जाने की दृष्टि से पर्याप्त होंगे।

(4) अंतिम निष्कर्ष में तथ्य और कानून और कारणों के सभी मामलों, जिसके कारण निष्कर्ष निकला है, के संबंध में सूचना विहित होगी।

(5) महानिदेशक अपने अंतिम निष्कर्षों को अधिसूचित करेंगे।

(6) महानिदेशक अपने अंतिम निष्कर्षों से संबंधित ऐसी अधिसूचना की एक प्रति निम्नलिखित के पास भी भेजेंगे :

(क) केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय;

(ख) मलेशिया सरकार।

11. द्विपक्षीय रक्षोपायों का लागू किया जाना.- (1) महानिदेशक की सिफारिश प्राप्त होने पर, अंतिम निष्कर्षों के अंतर्गत आने वाली मूलभूत वस्तु के संबंध में गम्भीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने और समायोजन करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार व्यापार करार के निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन करेगी जिससे कि -

(क) द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू किए जाने वाले दिन से व्यापार करार के अंतर्गत वस्तु पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर की कटौती को निलंबित किया जाए; अथवा

(ख) मूलभूत वस्तु पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में उस स्तर तक बढ़ोत्तरी कर सकती है जो निम्नलिखित के कम-से-कम स्तर से अधिक नहीं हो :

(i) द्वीपक्षीय रक्षोपाय लागू किए जाने वाले दिन को मूलभूत वस्तु पर लागू, सीमा शुल्क की, अत्यन्त वरीयता प्राप्त राष्ट्र लागू दर; अथवा

(ii) जांच की अवधि शुरू होने की तारीख से तत्काल पूर्व, मूलभूत वस्तुओं पर लागू सीमा शुल्क की अत्यन्त वरीयता प्राप्त राष्ट्र लागू दर।

(2) इन नियमों के अंतर्गत उन वस्तुओं पर कोई द्विपक्षीय रक्षोपाय नहीं लागू होंगे जिन पर कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उप-धारा (1) के अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी वस्तु के बारे में रक्षोपाय शुल्क लागू किए जा रहे हैं तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में इन नियमों के अंतर्गत लागू किए गए वर्तमान द्विपक्षीय रक्षोपाय भी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उप-धारा (1) के अनुपालन में कार्रवाई किए जाने के पहले समाप्त कर दिए जाएंगे।

(3) द्विपक्षीय रक्षोपाय के समाप्त किए जाने पर, उपाय के अध्यधीन मूलभूत वस्तु पर लगने वाली सीमा शुल्क की दर वह दर होगी जो समापन की तारीख को व्यापार करार के अंतर्गत लागू होती, यदि द्विपक्षीय रक्षोपाय को कभी भी लागू नहीं किया गया होता।

(4) यदि महानिदेशक के अंतिम निष्कर्ष में द्विपक्षीय रक्षोपायों को लागू करने की सिफारिश नहीं की गई है तो केन्द्र सरकार, महानिदेशक द्वारा दिए गए अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर नियम 10 के अंतर्गत लगाए गए अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय, यदि कोई हो, को वापस लेगी।

12. द्विपक्षीय रक्षोपायों के प्रारम्भ की तारीख.- (1) नियम 9 अथवा नियम 11 के अंतर्गत लागू किए गए रक्षोपाय, इस तरह के रक्षोपाय को लागू करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(2) उप-नियम (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद, जहां कहीं एक अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू किया गया है और जहां कहीं महानिदेशक ने यह निष्कर्ष रिकॉर्ड किया है कि बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति पहुंची है अथवा क्षति पहुंचने का अंदेशा है तो इसे नियम 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि इस तरह के द्विपक्षीय रक्षोपाय अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय लागू किए जाने अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

13. ड्यूटी की वापसी.- यदि जांच के समाप्त होने के पश्चात किए गए द्विपक्षीय रक्षोपायों के परिणामस्वरूप ड्यूटी की ऐसी दर बनती है जो कि पहले से ही किए गए अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय के परिणामस्वरूप ड्यूटी की दर से कम है तो संग्रहित की गई ड्यूटी के अंतर को आयातक को वापस कर दिया जाएगा।

14. संक्रमण अवधि.- मूलभूत वस्तु के संबंध में कोई भी द्विपक्षीय रक्षोपाय, उस मूलभूत वस्तु की संक्रमणकालीन अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा तथा जो कि व्यापार करार के लागू होने की तारीख से शुरू होकर टैरिफ कटौती के पूरे होने के 7 वर्ष बाद तक अथवा व्यापार करार के अंतर्गत टैरिफ समाप्ति के पूरा होने तक, जैसा भी मामला हो, उस मूलभूत वस्तु के संबंध में होगा।

15. अवधि.- (1) व्यापार करार के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई रिआयतों की समाप्ति अथवा नियम 11 के अंतर्गत लागू किए जाने वाले द्विपक्षीय रक्षोपाय केवल उस अवधि के लिए होंगे जो कि गम्भीर क्षति को रोकने अथवा समाप्त करने और समायोजन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक हो।

(2) उप-नियम (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 11 के अंतर्गत लगाए गए द्विपक्षीय रक्षोपाय, इनको लागू किए जाने की तारीख के 2 वर्ष तक ही लागू रहेंगे:

बशर्ते यह कि केन्द्र सरकार महानिदेशक की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात नियम 17 के उप-नियम (1) के अंतर्गत इस तरह लागू किए जाने की अवधि को आगे 2 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है:

बशर्ते कि द्विपक्षीय रक्षोपाय की कुल अवधि जिसमें इनकी बढ़ाई हुई अवधि भी शामिल है, 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) उप-नियम (1) और (2) में विहित किसी भी बात के बावजूद मूलभूत वस्तु के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय की अवधि नियम 14 में यथा उपबंधित मूलभूत वस्तु की संक्रमण अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

(4) इन नियमों के अंतर्गत कोई भी द्विपक्षीय रक्षोपाय ऐसी मूलभूत वस्तु के आयात पर पुन: लागू नहीं होगा जो कि पूर्व में इस प्रकार के द्विपक्षीय उपाय की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे द्विपक्षीय रक्षोपाय के अध्यधीन रही है तथा ऐसे द्विपक्षीय

रक्षोपाय की अवधि, किसी वस्तु के संबंध में पिछले द्विपक्षीय रक्षोपाय की अवधि से कम होगी।

16. रक्षोपायों का उदारीकरण.- यदि नियम 11 के अंतर्गत लगाए गए द्विपक्षीय रक्षोपायों की अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाती है तो द्विपक्षीय रक्षोपायों को इनके लगाए जाने की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर इनकी बढ़ाई गई अवधि सहित प्रगामी रूप से उदारीकृत किया जाएगा।

17. समीक्षा.- (1) महानिदेशक, द्विपक्षीय रक्षोपायों के निरंतर लागू किए जाने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं और वे उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि-

(क) द्विपक्षीय रक्षोपाय गम्भीर क्षति को रोकने अथवा इसका उपाय करने के लिए आवश्यक हैं और इस बात का साक्ष्य है कि उद्योग समायोजन कर रहा है तो वे द्विपक्षीय रक्षोपायों के निरंतर लगाए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकते हैं;

(ख) ऐसे उपायों को जारी रखने के पीछे कोई औचित्य नहीं है जिनको वापस लिए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश की गई हो।

(2) नियम 4,5,6 और 10 के प्रावधान, समीक्षा के मामले में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

[फा.सं. 15021/20/2016-निदे० (आईसीडी)]

(सत्यजीत मोहंती)
निदेशक